उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-1

संख्या-1/2022/31/35-1-2022/35-1010/7/2021-नियोजन अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक 18 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

अवगत हैं कि सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) के क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु नियोजन विभाग के अ0शा0प0संख्या- 395-1/दी0यो0प्र0/2019, दिनाँक 17.09.2019 द्वारा पंचायती राज एवं **ग्राम्य विकास विभाग को गोल सं0-6 "स्वच्छ जल एवं स्वच्छता" का सह-नोडल** विभाग नामित किया गया था।

2- नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0- 779(6)/35-1-2019-2(1)/2019 दिनाँक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों (एस0डी0जी0) के गोल सं0-6 "स्वच्छ जल एवं स्वच्छता" तथा एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी- 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु गठित अन्तर्विभागीय समिति में अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा सह-अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग व पंचायती राज विभाग नामित किये गये थे।

3- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में ग्रामीण पेय जल योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य (पेय जल आपूर्ति, जल संचयन, पेयजल गुणवत्ता, भूजल प्रबन्धन इत्यादि) नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अतः सतत विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

i. सतत विकास लक्ष्यों (एस0डी0जी0) के गोल सं0- 6 "स्वच्छ जल और स्वच्छता" में सहनोडल विभाग के रूप में नामित ग्राम्य विकास विभाग के स्थान पर **नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग** को सहनोडल विभाग नामित किया जाता है।
ii. नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0- 779(6)/35-1-2019-2(1)/2019 दिनाँक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों (एस0डी0जी0) के गोल सं0-6 "स्वच्छ जल एवं स्वच्छता" तथा एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी- 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु गठित अन्तर्विभागीय समिति में सह-अध्यक्ष के रूप में नामित **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग के स्थान पर अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को सह-अध्यक्ष नामित किया जाता है** तथा समिति के कार्य यथावत रहेंगे।
iii. संशोधित अन्तर्विभागीय समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, **अध्यक्ष** अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग व अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, **सह-अध्यक्ष** होंगे।

4- कृपया उक्त निर्णय के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(सुरेश चन्द्रा)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1/2022/31(1)/35-1-2022/35-1010/7/2021-नियोजन अनुभाग-1, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गोल सं0-6 से सम्बन्धित अन्य विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
11- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
12- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।